



भारत का राजपत्र The Gazette of India

अध्यादेश

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2004/माघ 16, 1925

No. 136]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2004/MAGHA 16, 1925

साधन्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संशोधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2004

का.आ. 165(अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार, साधन्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संशोधन विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 189(अ), दिनांक 17 फरवरी, 2003 में एतद्वारा संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 8, 9 और 13 से 19 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियाँ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से हटोपिती जाती होंगी।

[पत्र सं. 6(9)/2001-एलईआर]

प्रति, जगदीश, संयुक्त सचिव

दिनांक: 17 फरवरी, 2003 के का.आ. 189(अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2004

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, namely:—

2. In the Schedule of the said notification, serial numbers 8, 9 and 13 to 19 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F.No. 6(9)/2001-LEI]

S. JAGADISHAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) vide number S.O. 189(E) dated the 17th February, 2003.